रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042024-253725
CG-DL-E-16042024-253725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946
No. 107] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधायी 3 अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

फा. सं. 23(45)/2022-विधायी-3(वि.वि.).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 1011/2022-सुप्रियो@सुप्रिया बनाम भारत संघ में केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया है कि वह समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली समिति का गठन करे ।

2. उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, केन्दीय सरकार ने निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करने का विनिश्चय किया है:-

1.	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, गृह विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
3.	सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य

4.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	संयोजक

3. समिति, यदि आवश्यक समझा जाए, विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों को सहयोजित कर सकेगी।

4. समिति निम्नलिखित मुद्दों की समीक्षा कर सकेगी और उन पर सिफारिश प्रस्तुत कर सकेगी:--

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपायों का किया जाना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समलैंगिक समुदाय के लिए माल और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो;

(ii) ऐसे उपाय करना कि समलैगिंक समुदाय हिंसा, उत्पीड़न या प्रपीड़न की किसी धमकी का सामना न करता हो;

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय करना कि समलैंगिक व्यक्ति का अनैच्छिक चिकित्सीय उपचार, शल्यचिकित्सा आदि, जिसके अंतर्गत समलैंगिक व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को कवर करने के लिए माड्यूल भी हैं, नहीं कराया जाता है;

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय करना कि समलैंगिक व्यक्तियों की सामाजिक कल्याण हकदारियों तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो;

(v) कोई अन्य मुद्दा जो आवश्यक समझा जाए ।

5. यह माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विधि और न्याय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वीणा कोठावले, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

(LEGISLATIVE-III SECTION)

ORDER

New Delhi, the 16th April, 2024

F. No. 23(45)/2022-Leg-III(LD).—The Hon'ble Supreme Court *vide* its judgment dated 17.10.2023, in Writ Petition No. 1011/2022-Supriyo@Supriya Vs. Union of India, has directed the Central Government to constitute a Committee to be chaired by the Cabinet Secretary to examine the various issues relating to queer community.

2. Pursuant to the direction of the Supreme Court, the Central Government has decided to constitute a Committee with the following composition:-

1.	Cabinet Secretary	Chairperson
2.	Secretary, Department of Home, Ministry of Home Affairs	Member
3.	Secretary, Ministry of Women and Child Development	Member
4.	Secretary, Department of Health and Family Welfare , Ministry of Health and Family Welfare	Member
5.	Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice	Member
6.	Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment	Convener

3. The Committee may co-opt experts and other officers if deemed necessary.

4. The Committee may examine and submit the recommendation on the following issues :-

(i) measures to be taken by the Central Government and the State Governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community;

(ii) measures to be taken such that queer community do not face any threat of violence, harassment or coercion;

(iii) measures to be taken to ensure that queer person are not subjected to involuntary medical treatments, surgeries, etc., including modules to cover mental health of queer persons;

(iv) measures to be taken to ensure that there is no discrimination in access to social welfare entitlements to queer persons;

(v) any other issues as deemed necessary.

5. This issues with the approval of Hon'ble Minister of State (I/C) Law and Justice.

VEENA KOTHAVALE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.16 20:44:15 +05'30'